न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला –अजमेर(राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र 11 / 2020(2020 / 00234)

किशन लाल पुत्र श्रीराम कुमावत निवासी मानखण्ड तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राज)

------प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर (राज) --अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 11.09.20

प्रार्थी किशनलाल के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी।तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट उनके पत्र क्रमांक / भू.अ. / 2019 / 8030 दिनांक 04.12.2019 से इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है। जॉच रिपोर्ट के साथ पटवारी पटवार मण्डल मानखण्ड / भू.अ.नि.मेहरूकलां के द्वारा जॉच रिपोर्ट साथ संलग्न की है। जिसके मुताबिक ग्राम मानखण्ड की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया–पुराना 41–0,42–0,43–0,68–0मे प्रार्थी का नाम किशना पुत्र श्रीराम दर्ज किया हुआ है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड संख्या 3892 5543 1245 ,भामाशाह कार्ड,परिवारकार्ड,पेनकार्ड मे प्रार्थी का नाम किशनलाल पुत्र श्रीराम दर्ज किया हुआ है। किशनलाल पुत्र श्रीराम कुमावत ग्राम मे एक ही व्यक्ति है।

अतः तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट जो भू0अ0निरीक्षक मेवदाकलां व पटवारी पटवार मण्डल मानखण्ड द्वारा मजमेआम मे मौतबिरान की मौजूदगी मे दिनांक 13.11.19 को तैयार करवायी गयी है,के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता है। ग्राम मानखण्ड की जमाबंदी संवत् 2072–75 के खाता संख्या नया–पुराना 41–0,42–0,43–0,68–0मे प्रार्थी का नाम किशना पुत्र श्रीराम दर्ज किया हुआ है। इन खातो मे किशना पुत्र श्रीराम के स्थान पर किशनलाल पुत्र श्रीराम दर्ज किया जाने के आदेश तहसीलदार केकड़ी को दिए जाते है। अन्य इन्द्राज बदूस्तर रहेगे। तहसीलदार केकड़ी राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकन अपना अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:07:38 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)